निविदा प्रपत्र क्रमांक............ निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹ 500/—मात्र

दिनांक ....

लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
लोकायुक्त भवन, भोपाल

वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर मशीनों का वार्षिक रख–रखाव

(कृपया निविदा प्रपत्र की शर्तोंको ध्यानपूर्वक पढ़ें)

1. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय है ।

2. निविदा प्रपत्र लोकायुक्त कार्यालय, म0प्र0 भोपाल की स्टोर शाखा से ₹ 500/— नगद जमा कर या संगठन की वेबसाइट www.mplokayukt.nic.in से डाउनलोड (डाउनडलोड किये गये निविदा दस्तावेज जमा करते वक्त निविदाकर्ता को कार्यालय में 500 रू0 निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में अतिरिक्त देय होगा) दिनांक 04.10.2021 से दिनांक 08.10.2021 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। निविदा प्रस्ताव दिनांक 22.10.2021 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक स्वीकार किए जावेंगे तथा उसी दिन (दिनांक 22.10.2021) निविदा समिति के समक्ष उप सचिव के कक्ष में अपरान्ह् 04.00 बजे खोले जावेंगे। यदि निविदा खुलने की तिथि को शासकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो तिथि आगामी कार्य दिवस हेतु स्वतः बढ़ जावेगी। जो निविदा प्रपत्र निर्धारित दिनांक 22.10.2021 को दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त होंगे, उन्हें ही खोला जावेगा। विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक/कुरियर इत्यादि के कारण विलंब के लिए निविदाकार स्वयं उत्तरदायी होगा। वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर मशीनों का अवलोकन किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है।

3 निविदा तीन लिफाफा पद्धति पर आमंत्रित की जाती है, जिसमें प्रथम लिफाफा धरोहर राशि का, द्वितीय तकनीकी बिड का एवं तृतीय लिफाफा वित्तीय ऑफर का होगा। धरोहर राशि के लिफाफे के ऊपर 'धरोहर राशि का लिफाफा' तकनीकी बिड के लिफाफे के ऊपर 'तकनीकी बिड का लिफाफा' एवं वित्तीय ऑफर के लिफाफे के ऊपर 'वित्तीय ऑफर का लिफाफा' सुस्पष्ट शब्दों में अंकित करना होगा। खुले हुए लिफाफे स्वीकार नहीं किए जावेंगे। तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा स्वच्छ अक्षरों में भरी जावें।

4. <u>प्रथम लिफाफे में</u> धरोहर राशि ₹ 5,000/– (₹ पाँच हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो **उप संचालक, (वित्त), लोकायुक्त कार्यालय म0प्र0 भोपाल के पक्ष में देय हो**, संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि के अभाव में अन्य दो लिफाफे तकनीकी बिड एवं वित्तीय ऑफर के नहीं खोले जावेंगे तथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

5. <u>द्वितीय लिफाफे में प्रपत्र–1</u> में संबंधित फर्म का नाम, फर्म के प्रोपराइटर का नाम, फर्म का पत्र व्यवहार का पता, फर्म का टेलीफोन/मोबाईल नम्बर, फेक्स नम्बर, पेन नम्बर (PAN No), फर्म का वाणिज्यिक कर पंजीयन क्रमांक, धरोहर राशि ₹ 5,000/– का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक क्रंमाक दिनांक की जानकारी तथा प्रपत्र के साथ फर्म का जीवित पंजीयन प्रमाणपत्र (नगर निगम/अन्य शासकीय संस्था) भोपाल में फर्म का कार्यालय होने का प्रमाणपत्र, पेन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति तथा फर्म द्वारा अन्य शासकीय संस्थाओं में न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि में न्यूनतम ₹ 1,00,000/– वार्षिक भुगतान सहित कार्य संतोषजनक तौर पर संपादित करने का कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र, फर्म का विगत दो वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, जीएसटी कर का पंजीयन प्रमाण–पत्र, विगत वर्ष का जीएसटी कर चुकता प्रमाण–पत्र एंव फर्म में कार्यरत् सर्विस इंजीनियरों के नाम, शैक्षणिक योग्यता, उनके टेलीफोन/मोबाईल नम्बर की जानकारी संलग्न करना होगा। द्वितीय लिफाफे में उक्त पूर्ण वांछित जानकारी प्राप्त होने पर ही निविदाकर्ता को तकनीकी बिड में सफल माना जावेगा तथा उसका वित्तीय ऑफर का लिफाफा खोला जावेगा। निविदा **प्रपत्र–1** संलग्न है।

6. <u>तृतीय लिफाफे में प्रपत्र–2</u> में वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर मशीनों के वार्षिक रख–रखाव हेतु एवं उल्लेखित सामग्री हेतु दरें दी जावें। दरें जी0एस0टी0 के बिना रहेंगी। दर पत्रक (प्रपत्र–2) के भाग–दो (अ एवं ब) एंव तीन में उल्लेखित सामग्री की मात्र दरें आमंत्रित की जाती हैं। दर पत्रक (प्रपत्र–2) के भाग–एक में वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर मशीनों के वार्षिक रख–रखाव हेतु वार्षिक न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता को ही न्यूनतम दर प्राप्त निविदाकर्ता माना जायेगा तथा आवश्यक होने पर भाग–एक की दर के सम्बन्ध में उस निविदाकर्ता से निगोसिएशन किया जा सकेगा। इसी निविदाकर्ता से भाग–दो (अ एवं ब) एंव भाग–तीन में विभिन्न निविदाकर्ताओं से विभिन्न सामग्रीयों हेतु प्राप्त न्यूनतम दर पर कार्य करने की सहमति हेतु भी निगोसिएशन किया जायेगा। प्रथम न्यूनतम दर प्राप्तकर्ता से उक्त प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करने पर भाग–एक में

क्रमानुसार न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ताओं से उक्तानुसार निगोसिएशन किया जायेगा। इस प्रकार से न्यूनतम दर प्राप्त निविदाकर्ता से सहमति प्राप्त होने पर उसे ही कार्यादेश दिया जायेगा। दरें स्वच्छ अक्षरों में भरी जावें। सभी सुधार एवं दोबारा लिखी हुई जगहों पर अधिकृत निविदाकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर होने चाहिए। शब्दों एवं अंकों में लिखी हुई दरों में अंतर होने पर शब्दो में लिखी हुई दरों को ही मान्य किया जावेगा। वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर मशीनों के वार्षिक रख–रखाव के दौरान दर पत्रक (प्रपत्र–2) भाग–दो एंव भाग–तीन में उल्लेखित सामग्री का आवश्यकतानुसार उपयोग होने पर अलग से भुगतान किया जावेगा। निविदा **प्रपत्र–2** संलग्न है।

7. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने के अधिकार सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, म0प्र0 भोपाल के पास सुरक्षित रहेंगे। दस्तावेज की प्रामाणिकता/पर्याप्तता के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय/विवाद की स्थिति में सचिव, लोकायुक्त कार्यालय म0प्र0 भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

8. निविदा स्वीकृत किए जाने की स्थिति में निविदाकर्ता को ₹ 10,000/– (₹ दस हजार) की एफ0डी0, परफारमेंस गारंटी के रूप में जमा करना होगा तथा अनुबंध ₹ 500/– के स्टॉम्प पेपर पर करना होगा। अनुबंधित दरें, अनुबंध किए जाने की तिथि से 12 माह के लिए लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान दरों में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। परफारमेंस गारंटी की राशि सेवा प्रदायकर्ता के साथ अनुबंध के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर ही वापस की जा सकेगी।

9. अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि अनुबंध होने के एक सप्ताह में लौटा दी जावेगी।

10. कार्यादेश जारी करने के उपरांत निविदाकर्ता द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने की स्थिति में परफारमेंस गारंटी की राशि जप्त की जाएगी।

11. निविदाकर्ता को वार्षिक रख–रखाव अंतर्गत् सूची अनुसार वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर मशीनों की समय–समय पर सर्विसिंग, उसके पार्ट्स, सुधारना और आवश्यकतानुसार नए पार्ट्स लगाने होंगे। रिपेयर पार्ट्स के लिए अलग से राशि का भुगतान विभाग के द्वारा नहीं किया जाएगा। निविदाकर्ता को वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर मशीनों के संधारण कार्य में लगने वाली सामग्रियों में से केवल प्रपत्र–2 के भाग–दो (अ एवं ब) एवं भाग–तीन में उल्लेखित सामग्री का ही आवश्यकतानुसार उपयोग होने पर अलग से भुगतान किया जावेगा। वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर मशीनों की दुरूस्ती हेतु बदले जाने वाले पार्ट्स फर्म के पास अग्रिम रूप से उपलब्ध रहना चाहिए तथा वे उत्तम क्वालिटी के एंव संबंधित उपकरण में लगने वाले पार्ट्स ओरिजनल जिसका आशय

यह है कि जिस कंपनी का उपकरण है पार्ट भी उसी कंपनी का होना चाहिये, इसकी पुष्टि हेतु समय–समय पर लगाये जाने वाले पार्ट्स को सक्षम संस्था के माध्यम से चैक कराया जा सकेगा।

12. निविदाकर्ता को शिकायत फोन पर ही दर्ज कराई जावेगी। निविदाकर्ता को एक ही फोन कॉल पर कम्पलेण्ट अटेण्ड करना होगा। यदि कम्पलेण्ट की समयावधि अर्थात् सुधार कार्य करने में 24 घंटे से ज्यादा लगते हैं तो ऐसी दशा में निविदाकर्ता को किसी तरह का वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर मशीन स्टैण्डबाय के रूप में उपलब्ध करना होगा।

13. निविदाकर्ता के द्वारा कार्य के दौरान समय पर कॉल अटैण्ड नहीं करने पर यदि किसी मशीन को किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो इसके लिए उसे पूर्ण जिम्मेदार समझा जाएगा तथा मशीन की पूर्ण रिपेयरिंग का कार्य उसे करना होगा।

14. समय पर खराब उपकरण की रिपेयरिंग नहीं करने पर एवं स्टेण्डबाय उपलब्ध नहीं कराने पर प्रतिदिन 100 रू0 के हिसाब से शास्ति अधिरोपित की जावेगी । उसी कार्य को अधिकतम सात दिनों में संपादित नहीं कराए जाने पर खुले बाजार से सुधार कार्य कराया जाता है तो इस कार्य में व्यय की पूरी राशि अनुबंध राशि से कम कर ली जाएगी।

15. निविदाकर्ता को सामान्यतः माह में एक बार वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर मशीनों की सुरक्षात्मक जांच, साफ–सफाई विभाग में ही करनी होगी एवं अपना जांच प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर संबंधित अधिकारी को देना होगा तथा विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर भी रिपोर्ट में प्राप्त करने होंगे। यदि निविदाकर्ता के द्वारा प्रतिमाह जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो अनुबंध निरस्त कर परफारमेंस गारंटी राशि जप्त की जा सकती है।

16. फर्म को प्रति माह किए जाने वाले नियमित रख–रखाव के लिए रजिस्टर विभाग में संधारित करना होगा। इसकी एक प्रति सुविधा के लिए फर्म स्वयं भी रख सकती है। देयकों का भुगतान इसी आधार पर प्रस्तावित होगा। रजिस्टर पर भी संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा।

17. प्रति माह किए जाने वाले नियमित सुरक्षा जांच एवं साफ सफाई के नहीं होने पर अनुबंध राशि का 5% प्रति माह कटौत्रा कर लिया जाएगा।

18. वार्षिक रख–रखाव अंतर्गत् वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर मशीनों को यदि निविदाकर्ता सुधार हेतु विभाग के बाहर ले जाता है एवं यदि उसमें कोई टूट–फूट होती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी व इसका कटौत्रा अनुबंध राशि से किया जावेगा। साथ ही निविदाकर्ता को

सात दिवस के अंदर उक्त सामग्री को सुधार कर वापस करना होगा। अन्यथा संबंधित सामग्री की कुल कीमत अनुबंध राशि से कटौत्रा की जावेगी। सामग्री लोकायुक्त कार्यालय के बाहर ले जाने की जानकारी संधारित रजिस्टरों में रखनी होगी एवं सामग्री की पावती देना होगी।

19. अनुबंध अवधि में रख–रखाव कार्य के दौरान अन्य सामग्री खराब होने की स्थिति में सेवा प्रदायकर्ता की पूर्ण जवाबदारी होगी। यदि सामग्री खराब होती है और निविदादाता द्वारा उसे ठीक नहीं किया जाता है तो भी परफारमेंस गारंटी राशि जब्त की जा सकेगी एवं अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

20. किसी भी प्रकार अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य सत्यापन के पश्चात् ही देयक का भुगतान किया जाएगा।

21. समस्त वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर मशीनों को चालू हालत में रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। स्वीकृत दरों के अनुसार वार्षिक संधारण की अनुबंधित राशि के 30% का भुगतान अनुबंध निष्पादन उपरांत कार्य प्रारंभ करने के 4 माह बाद किया जावेगा। 30% का भुगतान कार्य प्रारंभ करने के 8 माह बाद द्वितीय किश्त के रूप में किया जावेगा। शेष 40% राशि का भुगतान कार्य समाप्त होने के बाद अंतिम किश्त के रूप में किया जावेगा। भुगतान सेवा कार्य की गुणवत्ता के निर्धारण के आधार पर ही किया जावेगा।

22. संस्था का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर दोनो पक्षों की सहमति होने पर अनुबंध ठेका आगामी वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

23. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं होने पर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, म0प्र0 भोपाल के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अवधि पूर्ण होने के पूर्व भी अनुबंध समाप्त किया जा सकता है एवं ऐसी स्थिति में फर्म द्वारा जमा की गई परफारमेंस गारंटी की राशि जप्त कर ली जावेगी तथा कार्य खुले बाजार से कराने पर जो भी अधिक व्यय होगा, उसकी वसूली संबंधित निविदाकर्ता से भू–राजस्व के बकाया की तरह की जाएगी ।

(रानी पासी)
उप सचिव
लोकायुक्त कार्यालय, म0प्र0
लोकायुक्त भवन
भोपाल
दूरभाष क्र0–2540948

प्रपत्र–1

वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर मशीनों का वार्षिक रख–रखाव

(तकनीकी बिड– द्वितीय लिफाफे में रखे)

1/	संबंधित फर्म का नाम	:..
2/	फर्म के प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम यदि पार्टनरशिप फर्म है तो उसका उल्लेख करते हुए पार्टनरशिप डीड की प्रति संलग्न करें।	:..
3/	फर्म का पत्र व्यवहार का पता	:.. ....
4/	फर्म का टेलीफोन/ मोबाईल नम्बर	:..
5/	पेन नम्बर (PAN NO.)	:..
6/	जी0एस0टी0 पंजीयन क्रमांक	:..
7/	फर्म का सेवाकर पंजीयन क्रमांक	:..
8/	धरोहर राशि ₹ 5,000/– बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक क्रमांक एंव दिनांक	: ....

टीप : निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/जानकारी अनिवार्य रूप से संलग्न करें :–

1/	फर्म का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र (नगर निगम/श्रमायुक्त /अन्य शासकीय संस्था का)	: ....
2/	भोपाल में कार्यालय/फर्म होने का प्रमाण	:..
3/	पेनकार्ड की छायाप्रति	:..
4/	फर्म द्वारा अन्य शासकीय संस्थाओं में न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि में न्यूनतम ₹ 1,00,000/–वार्षिक भुगतान सहित, कार्य संतोषजनक तौर पर संपादित करने का कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र	:.. ....

5/ फर्म का विगत दो वर्षो का आयकर चुकता प्रमाण–पत्र। :..

6/ जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण–पत्र : :..

7/ विगत वर्ष का सेवाकर/जी0एस0टी0 जमा प्रमाण पत्र (चालान/रसीद) :..

8/ फर्म में कार्यरत इंजीनियरों के नाम :..

एंव शैक्षणिक योग्यता, :..
उनके टेलीफोन/मोबाईल :..
नं0 की जानकारी। :..

(सूची संलग्न करें)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

फर्म/ऐजेन्सी की सील सहित

–:: प्रपत्र–2 ::–

(दर पत्रक/वित्तीय ऑफर –तृतीय लिफाफे में रखें)

वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर मशीनों का वार्षिक रख–रखाव

–:: भाग–एक ::–

वार्षिक रख–रखाव दरें

वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर कम्पनीः– (वोल्टास, एक्वागार्ड, एक्वाफ्रेश एवं एक्वाश्योर)

क्र0	सामग्री/कार्य		वार्षिक दर (अंको में)	वार्षिक दर (शब्दो में)
1.	2.		3.	4.
1	वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर	05 नग		

(निविदाकर्ता फर्म के प्रमुख के हस्ताक्षर)..

निविदाकर्ता के प्रमुख का नाम ....

फर्म/ऐजेन्सी की सील सहित

नोटः– किसी भी प्रकार की कांट–छांट ओव्हर राईटिंग अथवा प्रपत्र में किसी अन्य प्रकार के नोट/शर्त लिखने पर निविदा मान्य नहीं की जावेगी।